जिला आयोजना समिति

संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जिला आयोजना समिति का समावेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 में किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350, 351 एवं 352 में जिला आयोजना समिति के गठन, निर्वाचन एवं समिति की शक्तियों एवं कृत्यों का विस्तार से प्रावधान किया गया है।

जिला आयोजना समिति के सदस्य :

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350 में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 121 में यथा परिकल्पित जिला आयोजना समिति में कुल 25 सदस्य होंगे, उनमें से 20 सदस्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद्/नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से और उनके द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

जिला आयोजना समिति में निम्नलिखित पांच नाम निर्देशित सदस्य होंगे :–

क– जिले का कलेक्टर;

ख– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्;

ग– अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्;

घ– संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित स्वैच्छिक अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से दो व्यक्ति।

प्रमुख, जिला परिषद्, जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष होंगे।

राज्य के समस्त जिलों में जिला आयोजना समितियों का, वर्तमान में निर्वाचित जिला परिषद्/नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए, जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठन किया गया है।

जिला आयोजना समिति की शक्तियाँ और कृत्य :

जिला आयोजना समिति का मुख्य कृत्य पंचायत समितियों और नगर पालिका निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं का समेकन कर, सर्म्पूण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार कर, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना समिति के सचिव नियुक्त किये गये हैं। जिला आयोजना शाखा जिला परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी के अधीन, जिला आयोजना समिति के सचिवालय का कार्य कर रही हैं।

पंचायती राज विभाग जिला आयोजना समिति का प्रशासनिक विभाग है।

- **वार्षिक जिला योजना 2007–08 एवं 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 तैयार करना**

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार राज्य योजना के साथ–साथ जिला योजना तैयार करना भी अनिवार्य है। योजना आयोग द्वारा निर्धारित इस अनिवार्यता के मध्यनजर राजस्थान राज्य में पंचायती राज के अधीन सृजित जिला आयोजना प्रकोष्ठ के माध्यम से स्वायत शासन विभाग के सक्रिय सहयोग से वार्षिक जिला योजना 2007–08 व 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 तैयार करने का कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आरम्भ से ही प्रारम्भ किया गया।

जिला योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु जनप्रतिनिधियों, जनता एवं राजकीय विभागों की सक्रिय भागीदारी से विकास का दृष्टिकोण एवं योजनाऐं तथा प्राथमिकताऐं तय करना है। ये योजनाऐं ग्राम, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, पंचायत समिति स्तर पर तैयार की जाकर जिला योजना में सम्मिलित की जानी होती है ताकि स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के दृष्टिगोचर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इनकी पूर्ति 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना के दौरान होकर क्षेत्र का आर्थिक व सामाजिक विकास हो सकें।

राज्य के सभी लगभग 40,000 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रथम बार आरम्भ की जाकर वार्षिक जिला योजना 2007–08 व 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

उक्त योजनाऐं तैयार करने में अपनाई गयी प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. राज्य के सभी 32 जिलों में जिला आयोजना समितियों का गठन किया गया है।

2. जिला योजना तैयार करने के लिए कुल 17 प्राथमिक सेक्टर्स का चयन किया गया है। ये सेक्टर्स है कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, भू–जल एवं पेयजल, शिक्षा (प्रारम्भिक, उच्च व तकनीकी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, उद्योग, सड़क एवं पुलिया, पोषाहार, शहरी विकास, वन, सहकारिता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जल संसाधन तथा बैकिंग।

3. योजना आयोग भारत सरकार से जिला योजना निर्माण हेतु प्राप्त मार्ग दर्शिका को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर योजना निर्माण के लिए सूचनाऐं/आवश्यकताऐं संकलित करने के लिए अलग–अलग प्रपत्रों का निर्धारण किया जाकर संबंधितों को उपलब्ध करवाया गया। योजना निर्माण से संबंधित राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योजना निर्माण हेतु तैयार किये गये दिशा निर्देशों के संबंध में राज्य, जिला स्तर व पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाकर प्रशिक्षण दिया गया।

4. सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाकर गांव के सम्पूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए करवाये जाने वाले विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध कर ग्राम सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तथा ग्राम सभाओं में इन प्रस्तावित कार्यों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाकर प्राथमिकताऐं तय की गयी। ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को इकजाई किया जाकर ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाऐं तैयार की जाकर पंचायत समितियों को भिजवाई गयी।

5. पंचायत समिति स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाओं को इकजाई किया गया तथा प्राप्त प्रस्तावों का विभिन्न विभागों के पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों द्वारा उनके निर्धारित विभागीय मापदण्डों के आधार पर Vetting करवायी जाकर निम्न तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया :–
   i. वे प्रस्ताव जो कि विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पाये गये।
   ii. वे प्रस्ताव जो विभागीय मापदण्डों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं पाये गये, परन्तु अन्य प्रकार से औचित्यपूर्ण थे।
   iii. वे प्रस्ताव जो कि विभागीय मापदण्डों व अन्य दृष्टि से भी औचित्यपूर्ण नहीं थे।

उक्त प्रस्तावों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पंचायत समिति स्तरीय योजनाओं में प्राथमिकता से शामिल किया गया एवं पंचायत समिति स्तरीय योजनाऐं पंचायत समिति की साधारण सभा के अनुमोदन पश्चात् जिला स्तर पर प्रेषित की गई।

6. जिला स्तर पर प्राप्त पंचायत समिति स्तरीय योजनाओं को उपलब्ध संसाधनों व विभागीय मापदण्डों के आधार पर जिला योजना में इकजाईकरण कर जिला योजना तैयार की गई। जिला योजना पर जिला आयोजना समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा एवं अनुमोदन के उपरान्त वार्षिक जिला योजना 2007–08 व 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 तैयार की गई।

7. वार्षिक जिला योजना 2007–08 एवं 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 में प्रस्तावित की जानेवाली राशि की गणना की जाकर आयोजना विभाग को अवगत करवा दिया गया है परन्तु 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रत्येक सैक्टर का जिला दृष्टि पत्र तैयार किये जाने की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। योजना आयोग के निर्देशानुसार पंचवर्षीय जिला योजना में प्रत्येक सैक्टर का जिला दृष्टि पत्र सम्मिलित किया जाना है जिसमें जिले में सैक्टर की वर्तमान स्थिति, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य एवं इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने की व्यूह रचना का उल्लेख किया जावेगा। जिला दृष्टि पत्र तैयार कर शीघ्र ही 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना आयोजना विभाग को भिजवाई जावेगी।

8. सभी जिलों से प्राप्त 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 एवं वार्षिक जिला योजना 2007–08 में प्रस्तावित की जानेवाली राशि का राज्य स्तर पर जिले एवं सैक्टरवार Consolidate किया गया जिसके अनुसार 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना रूपये 30637.24 करोड़ की प्रस्तावित की गयी, जो राज्य योजना का 45.40 प्रतिशत है। प्रस्तावित योजनान्तर्गत उक्त राशि में से 10.40 प्रतिशत राशि के कार्य पंचायती राज संस्थाओं एवं 2.22 प्रतिशत राशि के कार्य शहरी निकायों द्वारा किये जावेंगे। इसी प्रकार वर्ष 2007–08 की वार्षिक जिला योजना रूपये 5161.01 करोड़ की प्रस्तावित की गयी, जो राज्य योजना का 44.62 प्रतिशत है। प्रस्तावित जिला योजना अन्तर्गत उक्त राशि में से 8.73 प्रतिशत राशि के कार्य पंचायती राज संस्थाओं एवं 2.43 प्रतिशत राशि के कार्य शहरी निकायों द्वारा किये जावेंगे।

राज्य की वार्षिक जिला योजना 2007–08 एवं 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना 2007–12 को तैयार करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया की सराहना, योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य की वार्षिक योजना 2007–08 एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 पर विचार विमर्श हेतु दिनांक 5–6 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भी की गई।

राज्य में ग्राम स्तर से जिला योजना निर्माण किये जाने का यह प्रथम प्रयास था जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार संस्थागत व्यवस्था की गई है :–

- राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।
- जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय जिला आयोजना समन्वय उप समिति का गठन किया गया है।
- उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक उपखण्ड स्तरीय आयोजना समन्वय उप समिति का गठन किया गया है।